न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 131/2014 वाद

उंकारलाल पिता वेणीराम लुहार, आयु 63 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. नानालाल पिता मांगीलाल लुहार, आयु 30 साल, निवासी बिनोता।
2. गेंदमल पिता मांगीलाल लुहार, आयु 25 साल, निवासी बिनोता।
3. श्रीमती कला बाई पिता मांगीलाल पत्नी पन्नालाल लुहार, आयु 45 साल, निवासी महुडिया, तहसील छोटीसादड़ी।
4. श्रीमती कौशल्या बाई पिता मांगीलाल पत्नी ईश्वरलाल लुहार, आयु 40 साल, निवासाी मुखमपुरा, जिला प्रतापगढ़।
5. श्रीमती मीना पिता मांगीलाल पत्नी दिनेश कुमार लुहार, आयु 30 साल, निवासी तंगेटी, तहसील जीरण जिला नीमच।
6. मु. वरजू बेवा मांगीलाल लुहार, आयु 70 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. रामलाल पिता वेणीराम लुहार, आयु 35 साल, निवासी उदय विहार कॉलोनी, गोमा बाई नेत्र चिकित्सालय के पास, नीमच, जिला नीमच।
8. केसर बाई पिता वेणीराम पत्नी मोहनलाल लुहार, आयु 55 साल, निवासी गुमाना, तहसील छोटीसादड़ी।
9. बसंती बाई पिता वेणीराम पत्नी लक्ष्मीलाल लुहार, आयु 60 साल, निवासी भाटखेडी, तहसील मनासा जिला नीमच, म.प्र.।
10. सुगना बाई पिता वेणीराम पत्नी नारायण लुहार, आयु 42 साल, निवासी करजू तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।
11. भैरूलाल पिता चुन्नीलाल कुम्हार, आयु 65 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि.

श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 26.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर अंकित किया की वाके मौजा बिनोता की आराजी नं. 1891 रकबा 0.5100, आराजी नं. 1898 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.0100 तथा आराजी नं. 1899 रकबा 1.8000 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह कृषि भूमि वादी व उसके भाई रामलाल तथा उसकी बहिन केसर बाई, बसंती बाई व सुगना बाई तथा प्रतिवादी नानालाल, गेंदमल व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक के शामलाती खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वेणीरामजी के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 7 से 9 का संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा है। इसी प्रकार शामलाती खातेदारी में चली आ रही है। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 26.02.1984 को जरिये वसीयत यह 5/6 हिस्सा अकेले वादी के नाम कर दिया था इसलिए वादी इस भूमि पर अकेले काबिज काश्त है। प्रतिवादी भैरूलाल कुम्हार का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं है फिर भी नाजायज रूप से वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तथा हस्तक्षेप करता है। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहा है इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। वादी ने जवाब काउण्टर क्लेम में काउण्टर क्लेम के सभी कथनों से इन्कार करते हुए पोखरलाल जी की पगडी मांगीलाल के बंधाई जाने से इन्कार किया तथा पोखरलाल जी द्वारा वेणीराम जी को पोखरलाल जी द्वारा गोद रखना बताते हुए जरिये वसीयत उक्त भूमि वादी को दिये जाने का अंकन किया है।

प्रतिवादी संख्या 11 ने भी जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया।

वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर तनकीयात कायम की गई परन्तु तारीख पेशी दिनांक 20.02.2018 को प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2067-70 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 246 प्रदर्श- 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3 वसीयत दिनांक 26.02.1984 की प्रति प्रदर्श-4 प्रस्तुत किया है। मौखिक साक्ष्य में गवाह उंकारलाल पिता वेणीराम लुहार पीडब्ल्यु-1, मांगीलाल पिता रतनलाल सुथार पीडब्ल्यु-2, राधेश्याम पिता मांगीलाल सुथार पीडब्ल्यु-3, सुपार्श्वचन्द पिता मोहनलाल जैन पीडब्ल्यु-4 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। बहस में अधिवक्ता वादी ने सह खातेदारान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता नहीं चाही तथा प्रतिवादी भैरूलाल के विरूद्ध ही स्थाई निषेधाज्ञा की

सहायता चाही है। प्रदर्श–1 अनुसार विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 11 का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। रेकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर अजनबी व्यक्ति व अतिक्रमी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का पूर्ण विधिक अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अलग अलग काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये गये परन्तु तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने व अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने से उनको कोई सहायता दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 11 भैरूलाल पिता चुन्नीलाल कुम्हार निवासी बिनोता को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी भैरूलाल विवादित भूमि की वाके मौजा बिनोता की आराजी नं. 1891 रकबा 0.5100, आराजी नं. 1898 रकबा 0.0100 तथा आराजी नं. 1899 रकबा 1.8000 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें ना करावें। उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 26.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा